न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/50/2024	2024/123	30–10–2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. श्री राजू सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी, निवासी मालवीय नगर के सामने, नियर सागर नर्सरी, अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियगन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि
2. रामावतार मीना –वकील अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी वहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री राजू सैनी पुत्र श्री याबूलाल सैनी, निवासी मालवीय नगर के सामने, नियर सागर नर्सरी, अलवर की सैनी स्वीट्स, मालवीय नगर, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री राजू सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी, निवासी मालवीय नगर के सामने, नियर सागर नर्सरी, अलवर उपस्थित मिले। श्री राजू सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री राजू सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजू सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० मॉडर्न गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री भगवान सिंह पुत्र श्री केसरी सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 21.09.2024 को प्रार्थी के प्रतिष्ठान सैनी स्वीटस, मालवीय नगर, अलवर राजस्थान से 04 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए हैं, जिनमें से दो गैस सिलेण्डर प्रार्थी के नाम से जारी गैस कनेक्शन के व दो गैस सिलेण्डर प्रार्थी के पुत्र शुभम सैनी के नाम से जारी गैस कनेक्शन के है। जिनके कागजात प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे है। प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच के समय प्रार्थी हडबडाहट में

अ[illegible] रिक्त [illegible] कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उपरोकत गैस सिलेण्डरों की बाबत पासबुक व अन्य दस्तावेजात पेश नहीं कर सका था। जिसमें कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नहीं है। उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के घरेलू उपयोग में ही काम में आते है। चूंकि प्रार्थी का मकान प्रार्थी के प्रतिष्ठान के साथ लगता हुआ ही स्थित है (यानि मकान के परिसर में ही प्रार्थी का प्रतिष्ठान है), जिससे प्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू सिलेण्डरों को अपने प्रतिष्ठान पर रख दिए गए थे। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरों का कोई व्यवसायिक उपयोग किसी प्रकार का प्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर विक्रय किए जाने वाली समस्त मिठाईयों का निर्माण अपने प्रतिष्ठान के पीछे बनी हुई कोयले की भटटी पर किया जाता है। जिस तथ्य के बारे में प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को बता भी दिया गया था। प्रार्थी द्वारा कोयले की भटटी की फोटो भी प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त गैस सिलेण्डरों को अपने प्रतिष्ठान में रखे जाने में कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नहीं रही है तथा न ही कभी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक उपयोग में लिया गया है। उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के जब्त रहने से प्रार्थी के परिजनों को नित्य प्रति के कार्यों में काफी असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को जारी किएं गए नोटिस को निरस्त फरमाते हुए प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त फरमाते हुए उपरोक्त प्रकरण में जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को प्रार्थी को दिए जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने समर्थन में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर विक्रय किए जाने वाली समस्त मिठाईयों का निर्माण अपने प्रतिष्ठान के पीछे बनी हुई कोयले की भटटी पर किया जाता है। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री राजू सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री राजू सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि वह संपूर्ण कार्य कोयले की भट्टी पर करता है जिस बाबत् कोई साक्ष्य एवं ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजू सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)